

बीमा के नए मानदंड से सुरक्षा और बचत को मिलेगा बढ़ावा

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के द्वारा बीमा उत्पादों के संबंध में पेश किए गए नए दिशानिर्देशों के साथ भारत में जीवन बीमा को खरीदने एवं बेचने के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है। इसमें जीवन बीमा के दीर्घकालिक मुख्य उद्देश्य सुरक्षा एवं बचत को पूरा ध्यान रखा गया है।

उपभोक्ताओं का ज्यादा फायदा : नई पॉलिसियों को उपभोक्ता के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए इरडा ने यह नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में उत्पादों की तीन व्यापक श्रेणियों को शामिल किया गया है जिसमें पारंपरिक बीमा योजनाएं, वैरिएबल बीमा योजनाएं तथा युनिट-लिंक्ड बीमा योजनाएं (युलिप) शामिल हैं। नए पारंपरिक उत्पाद उच्च डेथ कवर उपलब्ध कराते हैं। 45 साल से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए

नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के मामले में कवर, चुकाए जाने वाले कुल सालाना प्रीमियम का दस गुना होगा तथा बाकी हर उम्र के व्यक्तियों के लिए यह सात गुना होगा।

पारंपरिक प्लान के मामले में न्यूनतम डेथ बेनेफिट- बीमित राशि एवं एडीशनल बेनेफिट के बराबर होगा। सिंगल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए न्यूनतम डेथ बेनेफिट सिंगल प्रीमियम का 125 फीसदी होगा, अथवा मैच्योरिटी पर न्यूनतम गारंटीड बीमित राशि के बराबर होगा, अथवा मृत्यु पर चुकाई जाने वाली किसी निर्धारित राशि के बराबर होगा। 45 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए, यह सिंगल प्रीमियम का 110 फीसदी होगा।

45 साल से कम उम्र के बीमाधारक के द्वारा खरीदे गए नियमित प्रीमियम उत्पादों के लिए, यह सालाना प्रीमियम



अनूप राउ
सीईओ, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस

का दस गुना होगा अथवा मृत्यु की तारीख तक चुकाए गए कुल प्रीमियम का 105 फीसदी होगा अथवा मैच्योरिटी पर न्यूनतम गारंटीड बीमित राशि के बराबर होगा, अथवा मृत्यु पर चुकाई जाने वाली किसी निर्धारित राशि के बराबर होगा। 45 साल

इरडा ने इन दिशानिर्देशों में उत्पादों की तीन व्यापक श्रेणियों को शामिल किया है, जिसमें पारंपरिक बीमा योजनाएं, वैरिएबल बीमा योजनाएं तथा युनिट-लिंक्ड बीमा योजनाएं (युलिप) शामिल हैं।

से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए यह सालाना प्रीमियम का सात गुना होगा।

रिटर्न की गारंटी : नए मानदण्डों के अनुसार, वैरिएबल बीमा योजनाएं पॉलिसी को शुरुआत पर रिटर्न को एक न्यूनतम तय दर को गारंटी देंगी, हालांकि

वे एक सूचकांक से लिंक्ड हैं। नए दिशानिर्देशों में अल्प-कालिक पॉलिसियों पर कमीशन को कम किया गया है तथा सभी उत्पादों के लिए कमीशन को मात्रा को प्रीमियम चुकाए जाने को अर्वांध के साथ जोड़ा गया है।

पॉलिसी की ऑनलाईन बिक्री एवं अन्य प्रत्यक्ष बिक्री के मामले में कोई कमीशन नहीं होगा और इसका बेनेफिट पॉलिसीहोल्डर को मिलेगा। वास्तव में, नए मानदण्ड दीर्घकालिक बिक्री को बढ़ावा देंगे, जो उपभोक्ता के साथ बीमा सलाहकार के लिए भी फायदेमंद होगी। इसके अलावा, वे जरूरत आधारित बिक्री एवं उच्च जीवन बीमा कवर भी उपलब्ध कराएंगे, पॉलिसी के सरेंडर पर ज्यादा राशि मिलेगी। नए मानदण्डों के तहत पेश की जाने वाली बीमा योजनाएं उपभोक्ता के लिए अधिक अनुकूल होंगी।